REGD. No. D. L.-33002/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99



### एस.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264671 SG-DL-E-15072025-264671

### असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 123
No. 201]	DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947	[N. C. T. D. No. 123

### भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

## अधिसूचना

### दिल्ली, 10 जुलाई, 2025

एफ 30(641)/टीजी.पीआर/एसडी/डीएसडब्ल्यू/24/93–95.–गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 07. 06.2023 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2524 के साथ पठित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 22 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतू निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2025 कहा जाए।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

- 2. परिभाषा इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो
  - (क) "अधिनियम" का अभिप्राय उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) से है;
  - (ख) "आवेदक" का अभिप्राय उस उभयलिंगी व्यक्ति से है जो नियम 3 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करेगा।
  - (ग) "आवेदन" का अभिप्राय प्रपत्र–1 में यथा उपबंधित आवेदन पत्र से है।

- (घ) "किन्हीं सरकारी दस्तावेजों" का अभिप्राय अनुलग्नक–1 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों को सम्मिलित करने से है जिन्हें उपयुक्त सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी कर सकती है।
- (ङ) "पहचान प्रमाण पत्र" का अभिप्राय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के अंतर्गत क्रमशः प्रपत्र–3 अथवा प्रपत्र–4 में जारी प्रमाण पत्र से है।
- (च) "प्रपत्र" का अभिप्राय इन नियमों में विनिर्धारित प्रपत्र से है।
- (छ) "पहचान पत्र" का अभिप्राय इन नियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी उभयलिंगी व्यक्ति को जारी किए "पहचान प्रमाण पत्र" अथवा राज्य प्राधिकारी द्वारा उभयलिंगी व्यक्ति को जारी किए गए पहचान पत्र के आधार पर धारा 6 के अंतर्गत किसी उभयलिंगी व्यक्ति को प्रपत्र–5 में जारी अथवा किसी उभयलिंगी व्यक्ति को धारा 7 के अंतर्गत लिंग परिवर्तन के आधार पर प्रपत्र–6 में जारी फोटो पहचान पत्र से है।
- (ज) "चिकित्सा संस्थान" का अभिप्राय किसी चिकित्सा संस्थान चाहे वह निजी अस्पताल अथवा सरकारी अस्पताल हो, से है।
- (झ) "चिकित्सा हस्तक्षेप" में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतः पहचान लिंग के परिवर्तन को सुकर करने के लिए अपने लिंग की पुष्टि करवाने के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप शामिल हैं जिसमें परामर्श, हार्मोनल थेरेपी और सर्जिकल हस्तक्षेप, यदि कोई हो, शामिल है, परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- (ञ) "नियम" का अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत किसी नियम से है।
- (ट) "धारा" का अभिप्राय अधिनियम की धारा से है।
- (ठ) "हितधारक विभाग" का अभिप्राय किसी सरकारी एजेंसी/विभाग/निदेशालय/नगरपालिका निकाय/स्थानीय निकाय/स्वायत्त निकाय/आयोग/बोर्ड/परिषद/प्राधिकरण से है, जिसका उभयलिंगी के कल्याण से संबंधित किसी विशेष कार्यक्रम, परियोजना, नीति या पहल में हित या प्रभाव है। ये विभाग या तो सीधे विषय वस्तु के कार्यान्वयन या विनियमन में शामिल हो सकते हैं या उनके पास बजटीय या निगरानी जिम्मेदारियों जैसे अप्रत्यक्ष हित हो सकते हैं।
- (ड) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं की गई हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित की गई है, का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

### 3. धारा 6 अथवा धारा 7 के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन :

(1) उभयलिंगी व्यक्ति जो पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक है, वह प्रपत्र–1 में यथाविनिर्धारित आवेदन करेगा।

(2) आवेदन जिला मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से अथवा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा :

(3) जिन उभयलिंगी व्यक्तियों ने अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व अपना लिंग, चाहे वह पुरुष, महिला या उभयलिंगी हो, परिवर्तित करके सरकारी तौर पर दर्ज कराया है, उन्हें इन नियमों के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

आगे उपबंधित है कि नाबालिग बालक के मामले में, यह आवेदन नाबालिग बालक के उसके अभिभावक अथवा संरक्षक द्वारा और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के मामले में, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

4. पहचान प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया :- (1) जिला मजिस्ट्रेट, आवेदक के विवरण की शुद्धता के अधीन, किसी चिकित्सा या शारीरिक परीक्षण के बिना प्रपत्र-2 में किसी व्यक्ति की लिंग पहचान की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर आवेदन पत्र पर कार्रवाई करेगा और तत्पश्चात् आवेदक को पहचान संख्या जारी करेगा, जिसे आवेदन के प्रमाण के रूप में उद्धरित किया जा सकेगा।

(2) निवास स्थान के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और इस संबंध में प्रपत्र–2 में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

('यदि आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट आवेदक के हित एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए नैदानिक मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक की विशेषज्ञ राय ले सकते हैं) 5. धारा 6 के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्ति के लिए पहचान प्रमाण पत्र जारी करना — (1) जिला मजिस्ट्रेट नियम 4 में उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आवेदक को प्रपत्र—3 में पहचान प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का लिंग अंकित होगा।

(2) उक्त पहचान प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सहित विधिवत रूप से भरे आवेदन के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर जारी किया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के अंतर्गत जारी पहचान प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो तो, उक्त पहचान प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट लिंग के अनुसार अनुलग्नक–। में यथा उपबंधित ऐसे सभी सरकारी दस्तावेजों में उभयलिंगी व्यक्ति के लिंग के साथ–साथ उसका नाम और फोटो में परिवर्तन करने पर आधारित होगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट उप—नियम (1) के अंतर्गत आवेदक को पहचान प्रमाण पत्र जारी करते समय, प्रपत्र—5 में उभयलिंगी व्यक्ति पहचान पत्र जारी करेगा।

(5) राजस्व विभाग पहचान प्रमाण पत्र एवं उभयलिंगी पहचान पत्र जारी करने हेत् एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा।

(6) जो प्राधिकारी, नियम 3 के अंतर्गत आवेदक द्वारा किए आवेदन के आधार पर सरकारी दस्तावेज जारी करता है, वह ऐसे आवेदन के प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिनों के भीतर सरकारी दस्तावेजों में आवेदक का नाम अथवा लिंग अथवा फोटो या इनमें से कोई भी जानकारी को परिवर्तित करेगा।

(7) किसी सरकारी दस्तावेज, जिसमें उभयलिंगी व्यक्ति का लिंग, नाम और फोटो को उक्त पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधित किया गया है, में उस उभयलिंगी व्यक्ति जिसने सरकारी दस्तावेज में अपना नाम या लिंग या दोनों में परिवर्तन कराना चाहता है, उस उभयलिंगी व्यक्ति के मूल सरकारी दस्तावेज में उल्लिखित समान क्रम संख्या अथवा संदर्भ संख्या अंकित होगी :

बशर्ते कि कोई उभयलिंगी व्यक्ति राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, यदि कोई हो, के आधार पर लाभ पाने का पात्र था, वह उभयलिंगी व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत जारी पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर उन लाभों को पाने का पात्र होगा।

### लिंग परिवर्तित करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया –

(1) यदि कोई उभयलिंगी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष अथवा महिला के रूप में हो, लिंग पुष्टिकरण प्रक्रिया हेतु चिकित्सा हस्तक्षेप का सहारा लेता है तो ऐसा व्यक्ति उस चिकित्सा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र के साथ संशोधित पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रपत्र–1 में आवेदन कर सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप–नियम (1) में संदर्भित आवेदन की प्राप्ति पर उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के सही होने की जांच करेगा जिसमें कोई शारीरिक जांच शामिल नहीं होगी।

(3) आवेदक को आवेदन की तिथि पर जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में निवास कर रहा हो और इससे संबंधित शपथ–पत्र प्रपत्र–1 में आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा कोई और अतिरिक्त प्रमाण नहीं मांगा जाएगा।

7. धारा 7 के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी करना — (1) जिला मजिस्ट्रेट लिंग परिवर्तन चाहने वाले आवेदक को प्रपत्र—4 में संशोधित पहचान प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का लिंग, यथा स्थिति, पुरुष अथवा महिला के रूप में दर्शाया जाएगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट आवेदन प्राप्त होन के पंद्रह दिनों के भीतर उप–नियम (1) के अंतर्गत संशोधित प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) उप–नियम (1) के अंतर्गत जारी पहचान प्रमाण पत्र अनुलग्नक–1 में उपबंधित सभी सरकारी दस्तावेजों में उभयलिंगी व्यक्ति के लिंग के साथ–साथ फोटो एवं नाम, यदि आवश्यक हो तो उसे दर्ज करने अथवा बदलने के लिए आवेदक को पात्र बनाएगा, जो उक्त पहचान प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट लिंग, पुरुष अथवा महिला के रूप में, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप होगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट लिंग परिवर्तन के लिए पहचान प्रमाण–पत्र जारी करते समय आवेदक को प्रपत्र–6 में पहचान पत्र भी जारी करेगा।

(5) उप–नियम (3) के अंतर्गत आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर सरकारी दस्तावेज जारी करने वाला प्राधिकारी, ऐसे आवेदन करने के
15 दिनों के भीतर सरकारी दस्तावेजों में आवेदक का नाम अथवा लिंग अथवा फोटो अथवा इनमें से कोई भी जानकारी परिवर्तित करेगा।

(6) किसी सरकारी दस्तावेज, जिसमें उभयलिंगी व्यक्ति का लिंग, नाम और फोटो को उक्त पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधित किया गया है, में उस उभयलिंगी व्यक्ति जिसने सरकारी दस्तावेज में अपना नाम या लिंग या दोनों में परिवर्तन कराना चाहता है, उस उभयलिंगी व्यक्ति के मूल सरकारी दस्तावेज में उल्लिखित समान क्रम संख्या अथवा संदर्भ संख्या अंकित होगी :

(7) उक्त पहचान प्रमाण पत्र और लिंग परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने को दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) अधिनियम, 2011 में शामिल किया जाएगा। 8. आवेदन को अस्वीकृत करने की सूचना – (1) नियम 3 के अंतर्गत किए गए आवेदन की अस्वीकृति के मामलें में जिला मजिस्ट्रेट आवेदक को ऐसे आवेदन के प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसी अस्वीकृति का कारण अथवा कारणों से अवगत कराएगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अस्वीकृति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नियम 8 के उप–नियम (1) में संसूचित अस्वीकृति के कारण के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तूत उत्तर के आधार पर आवेदनक की अस्वीकृति के निर्णय की समीक्षा करेगा।

9. अपील का अधिकार – आवेदक को आवेदन की अस्वीकृति की सूचना की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर अंतिम आदेश के लिए मण्डलीय आयुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अपील करने का अधिकार होगा।

### 10. उपयुक्त सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधी उपाय, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य –

(1) उपयुक्त सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने और उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं तथा कल्याण संबंधी उपायों तक उनकी पहुंच को सुगम बनाने के प्रयोजनार्थ उनके लिए एक कल्याण बोर्ड गठित करेगी।

(2) उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा तथा सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं कल्याण संबंधी उपायों तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाते हुए उभयलिंगी व्यक्तियों को उसमें शामिल करने के लिए हितधारक विभाग सभी मौजूदा शैक्षिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, कल्याण संबंधी उपायों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व–रोजगार योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

(3) हितधारक विभाग, अनुलग्नक–II में यथा–विनिर्दिष्ट शैक्षिक, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार करेगा कि वे उभयलिंगी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील, गैर–कलंकित और बिना भेदभाव के हों।

(4) हितधारक विभाग, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी सरकारी अथवा निजी संगठन अथवा निजी एवं शैक्षिक संस्थान में भेदभाव का प्रतिषेध करने और श्मशान घाटों / कब्रिस्तानों सहित सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों पर समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएंगे।

(5) हितधारक विभाग, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन नियमों के लागू होने की तिथि से दो वर्षों के भीतर, अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (3) में उल्लिखित संस्थागत और अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जो पुनर्वास केंद्रों तक सीमित नहीं होंगी, का सृजन करेंगे, जिसमें कम से कम एक सरकारी अस्पताल को उभयलिंगी समुदाय जिसमें सभी पुरुष से महिला (एमटीएफ) तथा महिला से पुरुष (एफटीएम) अलग मानव रोगक्षम–अपर्याप्तता वायरस सीरो–सर्वालिएंस केंद्र, अस्पतालों में अलग वार्ड और प्रतिष्ठान में अलग शौचालय शामिल हैं, हेतु सुरक्षित एवं मुफ्त लिंग पुष्टिकरण सर्जरी, परामर्श तथा हार्मोन प्रतिस्थापन थेरेपी प्रदान करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा।

(6) कल्याण संबंधी योजनाओं के लाभ के प्रयोजनार्थ उभयलिंगी व्यक्तियों को शिक्षित करने, जानकारी देने और प्रशिक्षित करने के लिए; उभयलिंगी व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए; उभयलिंगी व्यक्तियों के विरूद्ध कलंक और भेदभाव को हटाने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए हितधारक विभाग जागरूकता अभियान चलाएंगे।

(7) हितधारक विभाग, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को संवेदनशील बनाने की व्यवस्था भी करेंगे, जिनमें शामिल हैं:--

(क) स्कूलों और कालेजों में शिक्षकों और संकाय को संवेदनशील बनाना, समानता एवं लैंगिक विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना;

- (ख) स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का संवेदीकरण;
- (ग) कार्यस्थलों पर संवेदीकरण कार्यक्रम;
- (घ) शिकायत अधिकारियों हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम।

(8) सभी शैक्षिक संस्थानों में ऐसी एक समिति होगी, जिस तक किसी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव के मामले में उभयलिंगी व्यक्तियों की पहुंच होगी। इस समिति के पास ऐसे अधिकार होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों सहित उभयलिंगी व्यक्तियों को परेशान करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति से उभयलिंगी छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

(9) हितधारक विभाग, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन नियमों के लागू होने की तिथि से दो वर्षों के भीतर अस्थायी आश्रयों, अल्पावास गृहों और आवासों, अस्पतालों में पुरुष, महिला अथवा अलग वार्ड का चयन करने और प्रतिष्ठानों में शौचालयों तक सीमित न रहते हुए संस्थागत और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सुजन करेंगे।

11. गैर भेदभाव के लिए प्रावधान (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक परिवहन, जन जीवन में भागीदारी, खेल—कूद, अवकाश और मनोरंजन तथा पब्लिक अथवा प्राइवेट कार्यालय में कार्य करने का अवसर सहित किसी सरकारी अथवा निजी संगठन अथवा प्रतिष्ठान में भेदभाव का प्रतिषेध करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाएगी। (2) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उभयलिंगी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इन नियमों के लागू होने की तिथि दो वर्षों के भीतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आवश्यक उपायों और प्रक्रियाओं पर एक व्यापक नीति तैयार करेगी।

(3) उप–धारा (2) के अंतर्गत तैयार नीति में असुरक्षित उभयलिंगी समुदायों की सुरक्षा के लिए निवारक प्रशासनिक तथा पुलिस उपाय शामिल होंगे।

(4) उपयुक्त सरकार अधिनियम की धारा 18 अथवा उभयलिंगी व्यक्तियों के विरूद्ध किए गए समान अपराधों के लिए किसी अन्य कानून के अंतर्गत अभियोजित व्यक्तियों के समय से अभियोजन के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उभयलिंगी व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी करने तथा ऐसे अपराधों को समय से पंजीकृत करने, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस आयुक्त के अधीन उभयलिंगी सुरक्षा सेल स्थापित करेगी।

12. रोजगार के समान अवसर (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान अवसंरचनात्मक समायोजनों, भर्ती, रोजगार संबंधी लाभों, पदोन्नति और अन्य संबंधित मामलों तक सीमित न रहते हुए रोजगार संबंधी किसी मामले में उभयलिंगी व्यक्ति के विरूद्ध गैर–भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित कार्यात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए सभी उपायों को कार्यान्वित करेगा।

(2) प्रत्येक प्रतिष्ठान उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति प्रकाशित करेगा।

(3) प्रतिष्ठान शिकायत अधिकारी के विवरण सहित समान अवसर नीति को अधिमानतः अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा, अन्यथा अपने परिसर में प्रमुख स्थानों पर इसे प्रदर्शित करेगा।

(4) प्रतिष्ठान की समान अवसर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का विवरण शामिल होगा -

(क) उभयलिंगी व्यक्ति प्रतिष्ठान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वाह कर सकें, इसके लिए उभयलिंगी

व्यक्तियों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं (जैसे यूनिसेक्स शौचालय), सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए उपाय (परिवहन और गार्ड) तथा सुविधाएं (जैसे स्वच्छता उत्पाद) प्रदान करना।

(ख) कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों के बारे में कंपनी के सभी नियमों और विनियमों को लागू करना;

(ग) कर्मचारियों के लिंग की पहचान गोपनीय रखना।

(घ) अधिकारियों की शिकायत।

13. शिकायत निवारण – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन नियमों की अधिसूचना लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्रत्येक प्रतिष्ठान धारा 11 के अनुसार शिकायत अधिकारी नामित करेगा।

(2) शिकायत अधिकारी, ऐसी शिकायतों के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा।

(3) प्रतिष्ठान प्रमुख रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर शिकायत अधिकारी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा।

(4) जिन सभी शिकायतों पर उपयुक्त समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की गई है उन पर प्रतिष्ठान प्रमुख तुरंत कार्रवाई करेगा।

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, धारा 12 की उप–धारा (1) और (2) के विशेष संदर्भ सहित अधिनियम के अध्याय–V के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन और आउटरीच केंद्रों के माध्यम से कार्य करते हुए एक वर्ष के भीतर शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करेगी।

(6) ऐसी शिकायतों के हेल्पलाइन पर आने की तिथि से तीस दिनों के भीतर शिकायत निवारण प्रणाली शिकायतों का समाधान और धारा
18 में यथा–निर्धारित शास्तियों को लागू करना सुनिश्चित करेगी।

(7) उपयुक्त सरकार, अपने क्षेत्राधिकार में सभी प्रतिष्ठानों में दायर की गई शिकायतों, जांच तथा उन पर की गई कार्रवाई की संख्या का पता लगाने के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित करेगी।

14. उभयलिंगी कल्याण बोर्ड – (1) उभयलिंगी कल्याण सशक्तीकरण बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का गठन दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा और यह नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।

(2) उभयलिंगी कल्याण बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अध्यक्ष, पदेन;

(ख) समाज कल्याण विभाग के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) समाज कल्याण विभाग के निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सदस्य-सचिव, पदेन;

(घ) गृह विभाग, वित्त विभाग, योजना विभाग, विधि विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग तथा दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी से एक–एक प्रतिनिधि, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप–सचिव के पद से नीचे न हो, सदस्य, पदेन;

(ङ) जिला समाज कल्याण अधिकारी (समस्त जिला), पदेन;

(च) उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्यरत तीन गैर-सरकारी संगठन या संघ, सदस्य;

(च) उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्यरत उभयलिंगी समुदाय से तीन प्रतिनिधि, सदस्य;

(3) बोर्ड की बैठक अर्धवार्षिक आधार पर बुलाई जाएगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से तीन वर्षों से अधिक नहीं होगा।

(4) समाज कल्याण विभाग, उभयलिंगी कल्याण बोर्ड को अपनी बैठकें आयोजित करने और उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के कार्यों के निर्वहन में सुविधा प्रदान करने के लिए सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

15. उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के कार्य : उभयलिंगी बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:-

(क) उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और परियोजनाओं के निर्माण पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सलाह देना;

(ख) उभयलिंगी व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना;

(ग) सरकार के सभी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना जो उभयलिंगी
व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर कार्य कर रहे हैं;

(घ) उभयलिंगी व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना; तथा

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

16. उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के सदस्यों के लिए भत्ते.— उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के गैर—सरकारी सदस्यों को उक्त बोर्ड की वास्तविक बैठकों के प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपये प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से

तथा उनके नाम पर,

डॉ. दिलराज कौर,भा.प्र.से, प्रधान सचिव

प्रपत्र—1

### (नियम 2 (घ), 3(1) और 6 (1) देखें)

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6\*∕7\* के साथ पठित दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2023 के अंतर्गत उभयलिंगी पहचान प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

राज्य चिह्न
राज्य सरकार (राज्य का नाम)
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय
दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2023 के अंतर्गत उभयलिंगी पहचान प्रमाण–पत्र जारी करने के
लिए आवेदन पत्र

(उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6* / 7* के साथ पठित * जो लागू न हो उसे काट दें।)		
1	नाम	
(i)	दिया गया नाम (बड़े अक्षरों में)	
(ii)	बदला हुआ ⁄ चुना हुआ नाम (बड़े अक्षरों में)	
(iii)	(i) और (ii) में से वह नाम जो पहचान प्रमाण पत्र और	
. ,	पहचान पत्र पर छापा जाना है।	
2	लिंग	
(i)	जन्म के समय प्राप्त	
(ii)	आवेदन में किया गया अनुरोध	
3	जन्म तिथि	दिन ∕ माह ∕ वर्ष
4	शैक्षिक योग्यता	
5	वर्तमान पता	
6	स्थायी पता	
7	यदि आय का स्रोत है	तो, वार्षिक आय :
(i)	1,00,000 रुपये से कम	हां ∕ नहीं
(ii)	1,00,001 रुपये और 3,00,000 रुपये के	हां / नहीं
	बीच	
(iii)	3,00,000 रुपये से अधिक	कृपया राशि बताएं
8	क्या आपके पास निम्नलिखित में से कोई	दस्तावेज है? यदि हां तो नीचे दिए
	गए प्रमाण पत्रों की स्व-सत्या	पित छायाप्रति प्रस्तुत करें
(i)	जन्म प्रमाण पत्र की तिथि	हां / नहीं
(ii)	आधार कार्ड	हां / नहीं
(iii)	पैन कार्ड	हां / नहीं
(iv)	चुनाव मतदाता पहचान पत्र	हां / नहीं
(v)	राशन कार्ड	हां / नहीं
(vii)	पासपोर्ट	हां / नहीं
(viii)	बैंक पासबुक	हां / नहीं
(ix)	मनरेगा कार्ड	हां / नहीं
(X)	जाति प्रमाण पत्र	हां / नहीं
	(अनु0जा0 / अनु0जन0 / अ०पि०व० / अन्य)	
9	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण	I) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के
	अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति	का चिकित्सा संबंधी इतिहास
(i)	क्या आप उभयलिंगी परिवर्तन के संदर्भ में	हां / नहीं
	किसी चिकित्सा हस्तक्षेप से गुजरे थे?	
(ii)	कृपया ब्यौरा दें	
(iii)	अस्पताल अथवा चिकित्सा संस्थान का	
	नाम और पूरा पता	
(iv)	जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, तिथि के	
	साथ	
(v)	कोई अन्य चिकित्सा स्थिति जिसे आप	
	साझा करना चाहें	
(vi)		
	कोई पहचान प्रमाण पत्र अथवा इस नियमावली के शुरू होने	
	से पहले राज्य प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य पहचान पत्र जारी	

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

	किया गया है? यदि हां तो संलग्न करें।	
10	कोई अन्य सूचना जो आप देना चाहें	
11	क्या आपने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण)	
	अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का	
	संरक्षण) नियमावली, 2020 के प्रपत्र—2 में विनिर्दिष्ट शपथ	
	पत्र भरकर संलग्न किया है?	
12	क्या आपने पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न किया है?	हां / नहीं

संलग्नः आवेदन में यथा उल्लिखित.....दस्तावेज।

### <u>घोषणा</u>

- 1. मैं यह घोषित करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण सत्य और सटीक है।
- इस आवेदन में दी गई सूचना को गुप्त रखा जाएगा और इसे केंद्र और / अथवा राज्य सुरक्षा एजेंसियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा संगठन, विधि द्वारा प्रदत्त किसी अन्य एजेंसी के साथ और सांख्यिकीय तथा नीतिगत उद्देश्य हेतु साझा नहीं किया जाएगा।

स्थानः	
	आवेदक का दिया गया नाम और हस्ताक्षर अथवा
दिनांकः	आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठा का निशान

## प्रपत्र—2 (नियम 2(ख) एवं 4 (1) देखें)

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के साथ पठित दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2023 की नियम 4 के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र 10 / – रुपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए) सक्षम नोटरी सिविल, जिला (जिला का नाम), (राज्य का नाम)

मैं (नाम), पुत्र / पुत्री / वार्ड / पति या पत्नी (अभिभावक / संरक्षक / पति का नाम), आयु (पूर्ण वर्षों में), आवास (पता), (तहसील), (जिला), (राज्य), (पिन कोड) एतदद्वारा सत्यानिष्ठा से दावा और घोषित करता हूं किः

- 1. मैं उक्त पते पर वर्तमान में रह रहा हूं।
- 2. मैं एक उभयलिंगी व्यक्ति हूं जिसका लिंग उसके जन्म के समय प्राप्त लिंग के अनुरूप नहीं है।
- मैं स्वयं को एक उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में घोषित करता हूं।
- 4. मैं यह शपथपत्र जिला मजिस्ट्रेट को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के अंतर्गत उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियमावली, 2023 के अंतर्गत उभयलिंगी के रूप में पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

साक्षी

# [PART IV

### सत्यापन

मैं, (नाम) एतदद्वारा यह उल्लेख करता हूं कि उक्त क्रम संख्या 1 से 4 में जो भी उल्लेख किया गया है, वह मेरे विवेक के अनुसार सत्य है।

साक्षी

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मेरे समक्ष नोटरी

तहसील दिनांक मेरे द्वारा अभिज्ञात अधिवक्ता पब्लिक

> प्रपत्र 3 (नियम २(ङ) एवं ५(१) देखें)

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के साथ पठित दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2023 के नियम 5 के अंतर्गत जिला मजिट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान प्रमाण पत्र का प्रपत्र

> प्रमाण–पत्र धारक की फोटो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फोटो को अनुप्रमाणित किया जाए

- अधोहस्ताक्षरी को दिए गए दिनांक तिथि/माह/वर्ष के आवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदक का पूरा आवासीय पता) के श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री (नाम) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती का वार्ड (अभिभावक/संरक्षक का नाम) एक उभयलिंगी व्यक्ति हैं।
- 2. उनके जन्म का नाम.....है।
- यह प्रमाण पत्र उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 के साथ पठित दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियमावली, 2023 के नियम 5 के अंतर्गत निहित उपबंधों के निबंधनों में जारी किया जाता है।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री...... दिए गए उक्त पता के मूल निवासी हैं।
- यह प्रमाण पत्र धारक को उसके द्वारा धारित सभी सरकारी दस्तावेजों में अपने नाम और लिंग बदलने का अधिकार देता है।

दिनांकः

स्थानः

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

9

# प्रपत्र –4

# (नियम २ (ङ) एवं ७(१) देखें)

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के साथ पठित दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2023 के नियम 6 के अंतर्गत जिला मजिट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले लिंग परिवर्तन हेतु पहचान प्रमाण पत्र का प्रपत्र

> प्रमाण–पत्र धारक की फोटो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा फोटो को अनुप्रमाणित किया जाए

- अधोहस्ताक्षरी को चिकित्सा अधीक्षक अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अस्पताल का नाम और पूरा पता) से चिकित्सा प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदक का पूर्ण आवासीय पता) श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री (नाम) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती का वार्ड (अभिभावक अथवा संरक्षक का नाम) ने लिंग परिवर्तन के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की प्रक्रिया पूर्ण की है।
- 2. उनके जन्म का नाम.....है।
- यह प्रमाण पत्र उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 7 के साथ पठित दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियमावली, 2023 के नियम 6 के अंतर्गत निहित उपबंधों के निबंधनों में जारी किया जाता है।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री..... दिए गए उक्त पता के मूल निवासी हैं।
- यह प्रमाण पत्र धारक को उसके द्वारा धारित सभी सरकारी दस्तावेजों में अपने नाम और लिंग बदलने का अधिकार देता है।
- 6. नाम और लिंग में इस प्रकार के परिवर्तन तथा इस प्रमाण–पत्र को जारी करने से इस प्रमाण–पत्र धारक के सभी अधिकारों और पात्रताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांकः स्थानः

> जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर मुहर

प्रपत्र – 5 (नियम 2 (छ) एवं 5(4) देखें) पहचान पत्र का प्रपत्र, पहचान पत्र का सम्मुख भाग राज्य–चिह्न राज्य सरकार (राज्य का नाम) जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय उभयलिंगी पहचान पत्र पहचान पत्र संख्या

> कार्ड धारक की फोटो

नाम माता का नाम@ पिता अथवा संरक्षक का नाम@

11

लिंग जन्म तिथि अथवा पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन की तिथि तक आयु प्राधिकृत प्रमाण–पत्र की संदर्भ संख्या जिसके आधार पर यह कार्ड जारी किया गया

### पहचान पत्र का पृष्ठ भाग

वर्तमान पता कार्ड जारी करने की तिथि

> जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

उभयलिंगी

.....वर्ष

दिन / माह / वर्ष

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6\* / 7\* एवं दिल्ली उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली, 2023 के नियम...... के अंतर्गत जारी। \* जो लागू न हो उसे काट दें। @यदि आवेदक नाबालिक बच्चा है तो केवल उस मामले में।

प्रपत्र — 6

(नियमा २(छ) और ७(४) देखें) पहचान पत्र का प्रपत्र, पहचान पत्र का सम्मुख भाग

राज्य–चिह्न राज्य सरकार (राज्य का नाम) जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

### पहचान पत्र

पहचान पत्र संख्या

नाम माता का नाम@ पिता / संरक्षक का नाम@ लिंग जन्म तिथि पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन की दिनांक तक आयु प्राधिकृत प्रमाण–पत्र की संदर्भ संख्या जिसके आधार पर यह कार्ड जारी किया गया कार्ड धारक की फोटो

पुरुष / महिला दिन / माह / वर्ष .....वर्ष

पहचान पत्र का पृष्ठ भाग

वर्तमान पताः

स्थायी पता :

कार्ड जारी करने की तिथि :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

@ केवल नाबालिक बच्चे के मामले में।

.....में उल्लिखित सरकारी कागजातों की व्याख्यात्मक सूची

क्र0सं0	सरकारी दस्तावेज का नाम
1.	जन्म प्रमाण–पत्र
2.	जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र
3.	किसी स्कूल, बोर्ड, कालेज, विश्वविद्यालय अथवा अन्य ऐसे किसी अकादमिक संस्थान द्वारा जारी कोई
	शिक्षा प्रमाण–पत्र
4.	चुनाव फोटो पहचान पत्र
5.	आधार कार्ड
6.	स्थायी खाता संख्या (पैन)
7.	ड्राइविंग लाइसेंस
8.	बीपीएल राशन कार्ड
9.	फोटो सहित पोस्ट आफिस बैंक / बैंक पासबुक
10.	पासपोर्ट
11.	किसान पास बुक
12.	विवाह प्रमाण–पत्र
13.	बिजली/पानी/गैस कनेक्शन के दस्तावेज
14.	संपत्ति के दस्तावेज
15.	वाहन पंजीकरण
16.	सेवा–पुस्तिका, नियोजन के दस्तावेज
17.	बार से संबंधित पहचान पत्र
18.	पॉलिसी के दस्तावेज

### DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE NOTIFICATION

### Delhi, the 10th July, 2025

**F. 30(641)/TG.PR/SD/DSW/24/93-95.**—In exercise of powers conferred under the sub-section (1) of Section 22 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 read with S.O. No. 2524 dated 07.06.2023 issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following Rules for the National Capital Territory of Delhi, namely:

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2 Definition. In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Act" means the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 (40 of 2019);
  - (b) "applicant" means a transgender person who submits an application under rule 3;
  - (c) "application" means the application form as provided in Form -1;

(d) "any official documents" include all documents listed in Annexure 1, which the appropriateGovernment may revise, by notification in the Official Gazette;

(e) "certificate of identity" means a certificate issued by the District Magistrate under section 6 or section 7 of the Act as in Form -3 or Form -4 respectively;

(f) "form" means a form prescribed to these rules;

(g) "identity card" means a photo identity card issued in Form -5 to a transgender person under section 6 or issued in Form -6 to a transgender person on change of gender under section 7 on the basis of "certificate of identity" issued by the District Magistrate or an identity card to a transgender person issued by a State authority prior to the coming into force of these rules;

(h) "medical institution" means any medical institution whether hospital, private or public.

(i) "medical intervention" includes any gender affirming medical intervention undertaken by an individual to facilitate the transition to their self-identified gender, including but not limited to counseling, hormonal therapy, and surgical intervention, if any.

(j) 'rule' means a rule under these rules;

(k) "section" means a section of the Act;

(1) "Stakeholder department" refers to a Government Agency/ Department/ Directorate/ Municipal Bodies/ Local Bodies/ Autonomous bodies/Commission/ Board/ Council/ Authorities that has an interest or influence in a particular program, project, policy, or initiative pertaining to the Welfare of Transgender. These departments may either be directly involved in the implementation or regulation of the subject matter or they may have indirect interests such as budgetary or oversight responsibilities

(m) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the same meaning assigned to them in the Act.

### 3. Application for issue of certificate of identity under section 6 or section 7:

(1) A transgender person desirous of obtaining a certificate of identity shall make an application as prescribed in Form -1.

(2) The application shall be submitted to the District Magistrate in person or online on National Portal for Transgender Persons developed by the Ministry of Social Justice and Empowerment, GOI.

(3) Transgender persons who have officially recorded their change in gender, whether as male, female or transgender, prior to the coming into force of the Act shall not be required to submit an application for certificate of identity under these rules

Provided further that in case of a minor child, such application shall be made by a parent or guardian of such minor child and in the case of a child in need of care and protection, by the competent authority under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016).

**4. Procedure for issue of certificate of identity**:-(1) The District Magistrate shall, subject to the correctness of the applicant's particulars, get the application processed based on the affidavit submitted declaring the gender identity of any person in Form- 2, without any medical or physical examination, and thereafter issue an identification number to the applicant, which may be quoted as proof of application.

(2) For the purpose of determination of the place of residence, the applicant shall have to reside in the area under the jurisdiction of District Magistrate as on the date of application and an affidavit to this effect shall be submitted in Form-2.

# (\*If required, the District Magistrate may seek the expert opinion of the Clinical Psychologist/ Psychiatrist keeping in mind the interest and welfare of applicant)

5. Issue of certificate of identity for a transgender person under section 6.- (1) The District Magistrate shall issue to the applicant, a certificate of identity in Form-3 following the procedure provided in rules 4 indicating the gender of such person.

(2) The said certificate of identity shall be issued within thirty days of receipt of duly filled in application along with the affidavit.

(3) The certificate of identity issued under sub-rule (1) shall be the basis to change the gender as well as the name and the photograph, if so necessitated, of the transgender person in all such official documents as provided in Annexure-1, in accordance with the gender specified in the said certificate of identity.

(4) The District Magistrate shall, at the time of issuance of the certificate of identity under sub-rule (1), issue a transgender identity card in Form -5 to the applicant.

(5) The Revenue Department shall maintain a register for the issuance of certificate of identity card and the transgender identity card.

(6) The authority that issued the official document, on an application made by an applicant under rule 3, shall change the name or gender or photograph or any of this information of the applicant in the official documents within fifteen days of making of such application.

(7) Any official document wherein gender, name and the photograph of transgender are revised based on the said certificate of identity, shall bear the same serial or reference number as in the original official document of such transgender person who seeks change in the name or gender or both in the official documents:

Provided that all benefits that a transgender person was entitled to based on an identity card, if any, issued by a State authority shall continue to be enjoyed by that transgender person based on the certificate of identity issued under these rules.

### 6. Procedure for issue of a certificate of identity for change of gender. -

(1)If a transgender person undergoes medical intervention towards a gender affirming procedure, either as a male or female, such person may apply in the Form -1, along with a certificate issued to that effect by the Medical Superintendent or Chief Medical Officer of the medical institution in which that person has undergone the said medical intervention, to the District Magistrate for the issue of a revised certificate of identity.

(2) The District Magistrate shall, on receipt of an application referred to in sub-rule (1) shall verify the genuineness of the said medical certificate, which shall not include any physical examination.

(3) The applicant shall be a currently residing in the area under the jurisdiction of the District Magistrate as on the date of application and an affidavit to this effect shall be submitted along with the application in Form-1 and no additional evidence shall be called for.

7. Issue of certificate of identity under section 7- (1) The District Magistrate shall issue a revised certificate of identity in Form – 4 to the applicant seeking change in gender indicating the gender of such a person as male or female, as the case may be.

(2) The District Magistrate shall issue the revised certificate under sub-rule (1) within fifteen days of its receipt of the application.

(3) The certificate of identity issued under sub-rule (1) shall entitle the applicant to record or change the gender, as well as photograph and name, if so necessitated of transgender person in all such official documents provided in Annexure -1, in accordance with the gender specified in the said certificate of identity as male or female, as the case may be.

(4) The District Magistrate while issuing the certificate of identity for change of gender shall simultaneously issue an identity card in Form - 6 to the applicant.

(5) The authority that issued the official document, on an application made by an applicant under sub-rule (3), shall change the name or gender or photograph or any of this information of the applicant in the official documents within fifteen days of making of such application.

(6) Any official document wherein gender, name or photograph of transgender person is revised based on the said certificate of identity shall bear the same serial or reference number as in the original official document of such transgender person who seeks change in the name or gender or both in the official documents.

(7)Issue of the said certificate of Identity and Change in gender certificate shall be included in the Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011

**8.** Communication of rejection of application- (1) In case of rejection of application made under rule 3, the District Magistrate shall inform the applicant the reason or reasons for such rejection within thirty days from the date of receipt of such application.

(2) The District Magistrate may review the decision of rejection of the application based on the reply submitted by the applicant regarding the reason for rejection communicated in sub-rule (1) of rule 8 within sixty days from the date of such rejection.

**9. Right to appeal-**The applicant shall have a right to appeal, within ninety days from the date of intimation of the rejection of the application, to the Divisional Commissioner, Revenue Department, Govt. of NCT of Delhi for a final order.

# 10. Welfare measures, education, social security and health of transgender persons by appropriate Government-

(1) The appropriate Government shall constitute a welfare board for the transgender persons for the purpose of protecting their rights and interests of and facilitating access to schemes and welfare measures framed by the Government.

(2) The stakeholder departments shall review all existing educational, social security, health schemes, welfare measures, vocational training and self-employment schemes to include transgender persons to protect their rights and interests and facilitate their access to such schemes and welfare measures framed by that Government.

(3) The stakeholder departments shall formulate educational, social security, health schemes and welfare schemes and programmes as specified in Annexure-II in a manner to be transgender sensitive, non- stigmatizing and non-discriminatory to transgender persons.

(4) The stakeholder departments shall take adequate steps to prohibit discrimination in any Government or private organisation, or private and public educational institution under their purview, and ensure equitable access to social and public spaces, including burial grounds.

(5) The stakeholder departments shall create institutional and infrastructure facilities, including but not limited to, rehabilitation center referred to in sub-section (3) of section 12 of the Act, at-least 1 government hospital shall be equipped to offer safe and free gender affirming surgery, counseling and hormone replacement therapy to the transgender community, including all Male to Female (MTF) and Female to Male (FTM), separate human immunodeficiency virus sero-surveillance centers, separate wards in hospitals and washrooms in the establishment, within two years from the date of coming into force of these rules to protect the rights of transgender persons.

(6) The stakeholder departments shall carry out an awareness campaign to educate, communicate and train transgender persons to avail themselves of the benefits of welfare schemes, educate and train transgender persons on their rights; eradicate stigma and discrimination against transgender persons and mitigate its effects.

(7) The stakeholder departments shall also provide for sensitization of institutions and establishments under their purview, including: -

(a) sensitization of teachers and faculty in schools and colleges, changes in the educational curriculum to foster respect for equality and gender diversity;

- (b) sensitization of healthcare professionals;
- (c) sensitization programmes in workplaces;
- (d) sensitization programmes for complaints officers.

(8) All educational institutions shall have a committee which shall be accessible for transgender persons in case of any harassment or discrimination, with powers to ensure that transgender students do not have to be affected by the presence of the persons bullying them, including teachers.

(9) The stakeholder departments shall create institutional and infrastructure facilities, including but not limited to, temporary shelters, short-stay homes and accommodation, choice of male, female or separate wards in hospitals and washrooms in the establishment within two years from the date of coming into force of these rules to protect the rights of transgender persons.

**11. Provisions for non-discrimination.** - (1) The Govt. of NCT of Delhi shall take adequate steps to prohibit discrimination in any Government or private organisation or establishment including in the areas of education, employment, healthcare, public transportation, participation in public life, sports, leisure and recreation and opportunity to hold public or private office.

(2) The Govt. of NCT of Delhi shall within two years from the date of coming into force of these rules, formulate a comprehensive policy on the measures and procedures necessary to protect transgender persons in accordance with the provisions of the Act.

(3) The policy formulated under sub-section (2) shall include preventative administrative and police measures to protect vulnerable transgender communities.

(4) The appropriate Government shall be responsible for the supervision of timely prosecution of individuals charged under section 18 of the Act, or under any other Law for similar offences committed against the transgender persons.

(5) Govt. of NCT of Delhi shall set up a Transgender Protection Cell under the charge of the District Magistrate in each District and under Commissioner of Police in the State to monitor cases of offences against transgender persons and to ensure timely registration, investigation and prosecution of such offences.

**12.** Equal opportunities in employment. - (1) Every establishment shall implement all measures for providing a safe working environment and to ensure that no transgender person is discriminated in any matter relating to employment including, but not limited to, infrastructure adjustments, recruitment, employment benefits, promotion and other related issues.

(2) Every establishment shall publish an equal opportunity policy for transgender persons.

(3) The establishment shall display the equal opportunity policy, including the details of the complaints officer, preferably on their website, failing which, at conspicuous places in their premises.

(4) The equal opportunity policy of an establishment shall, inter alias, contain details of-

(a) infrastructural facilities (such as unisex toilets), measures put in for safety and security (transportation and guards) and amenities (such as hygiene products) to be provided to the transgender persons so as to enable them to effectively discharge their duties in the establishment.

(b) applicability of all rules and regulations of the company regarding service conditions of employees;

(c) confidentiality of the gender identity of the employees;

(d) complaint of the officers.

**13.** Grievance redressal. -The Govt. of NCT of Delhi shall ensure that every establishment designate a complaint officer in accordance with section 11 within thirty days from the date of coming into force notification of these rules.

(2) The complaint officer shall enquire into the complaints received within fifteen days from the date of receipt of such complaints.

(3) The head of the establishment shall take action on the enquiry report submitted by the complaints officer within fifteen days from the date of submission of the report.

(4) The head of the establishment shall take action forthwith in all cases where action has not been taken in

accordance with the above time limits.

(5) The Govt. of NCT of Delhi shall also set up within one year a grievance redressal mechanism, operating through a helpline and outreach centers, for ensuring proper implementation of the provisions of Chapter V of the Act with special reference to sub- sections (1) and (2) of section12.

(6) The grievance redressal system shall ensure resolution of grievances within thirty days from the date of bringing of such grievance to the helpline, and imposing of penalties as laid down in section 18.

(7) The appropriate Government shall put in place a monitoring system for tracking the number of complaints filed, enquired and action taken of all the establishments in their jurisdiction.

14. Transgender Welfare Board -(1) The Transgender Welfare Empowerment Board, NCT of Delhi is to be constituted by the Government of Delhi and will exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under the rules.

(2) The Transgender Welfare Board shall consist of:

(a) the Minister in-charge of the Department of Social Welfare, GNCTD, Chairperson, Ex-Officio;

(b) the Secretary, Department of Social Welfare, GNCTD, Vice- Chairperson, Ex-Officio;

(c) the Director, Department of Social Welfare, GNCTD, Member-Secretary, Ex-Officio;

(d) One representative each from the Home Department, Finance Department, Planning Department, Department of Law, Labour Department, Health Department, Department of Higher Education, Department of Education, Revenue Department, Women and Child Development Department, Transport Department, Department of SC/ST OBC and Delhi State AIDS control society not below the rank of Dy. Secretaries in Govt. of NCT of Delhi, Members, Ex-Officio;

(e) District Social Welfare Officer (All Districts), Ex-Officio;

(f) three non-governmental organizations or associations, working for the welfare of transgender persons, Members;

(g) three representatives from transgender community working for the welfare of transgender persons, Members;

(3) The meeting of the board is to be convened on half yearly basis. The term of the nominated members shall not be exceeding three years from the date of its constitution.

(4) Department of Social Welfare shall provide Secretarial assistance to the Transgender Welfare Board to conduct its meetings and facilitate in the discharge of the functions of the Transgender Welfare Board.

**15. Functions of Transgender Welfare Board:** The Transgender Board will perform the following functions namely: —

(a) to advise the Govt. of NCT of Delhi on the formulation of policies, programmes, legislation and projects with respect to transgender persons;

(b) to monitor and evaluate the impact of policies and programmes designed for achieving equality and full participation of transgender persons;

(c) to review and coordinate the activities of all the departments of Government and other Governmental and non-Governmental Organizations which are dealing with matters relating to transgender persons;

(d) to redress the grievances of transgender persons; and

(e) to perform such other functions as may be prescribed by the Govt. of NCT of Delhi.

**16.** Allowances for the Members of the Transgender Welfare Board. - The non-official Members of the Transgender Welfare Board shall be paid an allowance of rupees two thousand per day for each day of the actual meetings of the said Board.

By Order and in the Name of the Lt. Governor, Delhi, Dr. Dilraj Kaur, IAS, Principal Secy.

#### Form - 1

### [See rules 2(d), 3(1) and 6(1)]

Application form for issue of transgender certificate of identity under Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2023 read with Section 6\* / 7\* of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

\* Strike out whichever is not applicable

	**	
	State Emblem	
	State Government of (name of the State)	
	Office of the District Magistrate	
Appli	cation form for issue of a transgender certificate of identity under Rule	Delhi Transgender Persons
	(Protection of Rights) Rules, 2023	
	(read with Section 6* / 7* of the Transgender Persons (Protection of	Rights) Act, 2019
	* Strike out whichever is not applicable)	
1	Name	
(i)	Given name (in capital letters)	
(ii)	Changed/Chosen name (in capital letters)	
(iii)	Out of (i) and (ii), name to be printed in the certificate of identity and in	
	the identity card	
2	Gender	
(i)	Assigned at birth	
(ii)	Requested in the application	
3	Date of birth	dd/mm/yyyy
4	Educational qualification	
5	Present address	
6	Permanent address	
7	If there is a source of income, the annual in	
(i)	Under Rs 1,00,000	YES / NO
(ii)	Between Rs 1,00,001 and 3,00,000	YES / NO
(iii)	Above Rs 3,00,000	Please specify the amount:
8	Do you have any of the following documents? If so, please submit self- attested photocopiesof the	
	certificates stated below.	
(i)	Date of birth certificate	YES / NO
(ii)	Aadhar card	YES / NO
(iii)	PAN card	YES / NO
(iv)	Election Voter Identity Card	YES / NO
(v)	Ration card	YES / NO
(vii)	Passport	YES / NO
(viii)	Bank passbook	YES / NO
(ix)	MNREGA Card	YES / NO

(x)	Caste certificate (SC/ST/OBC/Others)	YES / NO
9	Medical history (for those applying under section 7 of the Transgender Persons(Protection of Rig	
	Act, 2019	
(i)	Have you undergone any medical intervention in the context of	YES / NO
	transgender transition?	
(ii)	Please give details	
(iii)	Name and complete address of the Hospital or	
	medical institute	
(iv)	Name of the issuing authority along with the date	
(v)	Any other medical status you would like to share	
(vi)	Have you been issued any certificate of identity under Section 6 and	
	Section 7 under the Act, or any other ID Card issued by the State	
	Authority before the commencement of these Rules? If so, enclosed the	
	same.	
10	Any other information you would like to give	
11	Have you attached affidavit prescribed in Form –2 of the Transgender	
	Persons (Protection of Rights) Act, 2019 under RuleTransgender	
	Persons Protection of Rights) Rules, 2020	
12	Have you attached the passport size photographs?	Yes/No
7		•

Enclosed: documents as mentioned in the application

### **Declaration**

- 1. I declare that the particulars furnished by me are true and correct.
- 2. Information provided in this application will be treated as confidential and shall not be shared with any person or organisation save the Central and / or State security agencies, any other agency as provided by Law; and for statistical and policy framing purposes.

Place:	Signature or left hand thumb impression of the applicant given name
Date:	of the applicant

### Form – 2

### [See rules 2(b) and 4(1)]

Format of affidavit to be submitted by a person applying for certificate of identity for transgender persons under Rule 4 of the Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2023 read with Section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act,2019

(Affidavit should be on Non-judicial stamp paper of Rs.10/-) Competent Notary Civil, District (Name of the District), (Name of the State)

I, (Name), son/daughter/ward/spouse of (name of the parent/guardian/husband), aged

(in completed years), residing at (address), (Tehsil), (District), (State) (Pin code) do herebysolemnly affirm and declare as under:

- 1. I am currently residing in the above address.
- 2. I perceive myself as a transgender person whose gender does not match with the genderassigned at birth.
- 3. I declare myself as transgender.
- 4. I am executing this affidavit to be submitted to the District Magistrate for issue of certificate of identity as transgender person under Section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 under Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2023.

. \* strike out whichever is not applicable.

Deponent

### Verification

I, (Name), hereby state that whatever is stated here in above serial Nos. 1 to 4 are true to the best ofmy knowledge.

Deponent

(Signature of the Applicant)

TehsilDate Identified by me

Advocate

Public

Before Me

Notary

### Form – 3

#### [See rules 2(e) and 5(1)]

Form of certificate of identity to be issued by District Magistrate under Rule 5 Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2023 read with section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

Photograph of the certificate holder District Magistrate to attest the photograph

- On the basis of the application dated <u>dd/mm/yyyy</u> to the undersigned it is certified that Shri / Smt./ Km/ Ms. (name) son / daughter / ward of Shri/ Smt. (name of the parent or Guardian) of (complete residential address of the applicant) is a transgender person.
- 2 His / her birth name is\_\_\_\_\_

Date

Place

- 3 This certificate is issued in terms of the provisions contained under Rule 5 Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2023 read with section 6 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
- 4 It is also certified that Shri/Smt./Km/Ms.\_\_\_\_\_\_is ordinarily a resident at the address given above?
- 5 This certificate entitles the holder to change name and gender in all official documents of the holder.

Signature of the District Magistrate

Seal

### Form – 4

### [See rules 2(e) and 7(1)]

Form of certificate of identity for change of gender to be issued by District Magistrate under Rule 6 of the Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2023 read with section 7 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

Photograph of the certificate holder District Magistrate to attest the photograph

 On the basis of the application submitted to the undersigned along with a medical certificate from the Medical Superintendent or Chief Medical Officer (name of the Hospital and complete address), it is to certify that Shri / Smt./ Km. / Ms. (name) son/ daughter / ward of Shri/ Smt. (name of the parent or Guardian) of (complete residential address of the applicant) has undergone medical intervention to change gender.

2 His/ Her birth name is\_

- 3 This certificate is issued in terms of the provisions contained under Rule 6 of the Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2023 read with section 7 of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
- 4 It is also certified that Shri / Smt./ Km./ Ms. is ordinarily a resident at the address given above.
- 5 This certificate entitles the holder to change name and gender in all official documents of the holder.
- 6 Such change in name and gender and the issue of this certificate shall not adversely affect the rights and entitlements of the holder of this certificate.

Date

Place

Signature of the District Magistrate:

Seal

## Form – 5

### [See rules 2(g) and 5(4)] Form of Identity Card Front side of identity card

State Emblem

State Government of (name of the State)

Office of the District Magistrate

### **Transgender Identity Card**

Identitycard number

Photograph of the Card holder

Name

Mother's name@

Father's or Guardian's name @

Gender

Date of birth or

Age as on the date of application for issue of

Reference number of certificate of authority on the basis of which thiscard is issued

## Back side of the identity card

Present address

Card issue date

Signature of the issuingauthority Designation

Seal of the issuing authority

Transgender

dd/mm/yyyy

years Identity card

Issued under Section 6\*/ 7\* of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 and under Rule\_\_\_\_\_\_of Delhi Transgender Persons (Protection of Rights) Rules,2023

\* Strike out whichever is not applicable

@ only in case the applicant is a minor child

## Form – 6

## [See rules 2(g) and 7(4)] Form of Identity Card Front side of identity card

State Emblem

State Government of (name of the State) Office of the District Magistrate

# **Identity Card**

Identity card number

Photograph of the Car dholder

Name Mother's name@ Father's / Guardian's name@ Gender

Male /Female

Date of birth

dd/mm/yyyy

\_\_\_\_years identity card

Age as on the date of application for issue of Reference number of certificate of authority on the basis of which thiscard is issued

## Back side of the identity card

**Present address:** 

**Permanent address:** 

Card issue date:

Signature of the issuing authority Designation Seal of the issuing authority

@ only in case of a minor child

# Illustrative list of official documents referred to in\_\_\_\_\_

S. No.	Name of the Official Document
1.	Birth certificate
2.	Caste/ Tribe certificate
3.	Any education certificate issued by a school, board, college, university or any such academic institution
4.	Election Photo Identity Card
5.	Aadhar Card
6.	Permanent Account Number (PAN)
7.	Driving License
8.	BPL ration card
9.	Post Office bank/ Bank Pass book with photo
10.	Pass port
11.	Kisan Pass book
12.	Marriage certificate
13.	Electricity / water/ gas connection paper
14.	property papers,
15.	vehicle registration
16.	service book, employment papers
17.	identity card related to bar,
18.	policy papers